बैंक शुल्क: गरीबी पर जुर्माना

कैसे बैंक हमसे हमारी बचत के पैसे लूट रहे हैं?

फाइनेंसियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया

बैंक शुल्क : गरीबी पर जुर्माना

कैसे बैंक हमसे हमारी बचत के पैसे लूट रहे हैं?

बैंक शुल्कों को हटाने की मांग को लेकर ''नो बैंक चार्जेज'', फाइनेंसियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया (फेन इंडिया) द्वारा चलाया गया एक अभियान है।

फाइनेंसियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया (फेन इंडिया)
www.fanindia.net
मोबाइल नंबर : +91 73032 10990
ईमेल आईडी : nobankcharge@gmail.com
fb.com/nobankcharges twitter.com/nobankcharges

प्रकाशक
फाइनेंसियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया (फेन इंडिया)
www.fanindia.net | fanindia.info@gmail.com

डिजाइन
शिबी पीटर

अनुवाद
अमित कुमार

कॉपीलेफ्ट : इस पुस्तिका को पाठक गैर–वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते स्त्रोत को उदधृत किया गया हो।
निजी वितरण हेतु

बैंक शुल्क: गरीबी पर जुर्माना

कैसे बैंक हमसे हमारी बचत के पैसे लूट रहे हैं?

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र एक लंबे और गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। बुरे ऋण बढ़ रहे हैं और बैंक घटते मुनाफे के साथ कम–पूंजीकृत हो रहे हैं। नतीजतन, साख वृद्धि थम सी गयी है, और बढ़ती बेरोजगारी, जिससे भारत परेशान है, पुनः स्थापित हो रहा है।

भाजपा सरकार और आरबीआई इस संकट से निपटने में पूरी तरह विफल रहे हैं। कंजूस एवं लालची कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ–साथ सरकार और आरबीआई भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बुरी हालत के लिए जिम्मेदार हैं। वास्तव में, बीजेपी सरकार और आरबीआई की ज्यादातर कार्रवाइयों ने न केवल बैंकिंग संकट को बढ़ावा दिया है, बल्कि कॉर्पोरेट क्षेत्र को खुली छूट दे दी है जो अब इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत दवाब वाली संपत्तियों को नीलामी में सस्ते पर ले रहे हैं।

आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा सरकार हर तरह से इस संकट से अपना पल्ला झाड़ रही है। राजस्व रूढ़िवादी और सामाजिक खर्च पहले से ही कम होकर

फाइनेंसियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया (फेन इंडिया)

न्यूनतम स्तर पर हैं और अब भाजपा सरकार ने बैंकों को फिर से पूँजी बढ़ाने के लिए किसी तरह के कोशीय सहायता से भी इनकार कर दिया है। आरबीआई की भी इस पराजय में संदिग्ध भूमिका है और उसने बिना किसी विरोध के भाजपा सरकार की नव–उदारवादी नीतियों का साथ देते हुए पालन किया है।

बैंक, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अब बीच मझधार में फंस गए हैं। एक तरफ भाजपा सरकार और आरबीआई है और दूसरी तरफ एक अव्यावहारिक और गैर–जिम्मेदार कॉर्पोरेट क्षेत्र। संकट से बाहर आने के लिए बहुत कम अवसर होने के साथ, बैंक बीजेपी सरकार और आरबीआई के अनुमोदन से बैंकिंग संकट के बोझ को सार्वजनिक जमाकर्ताओं (जिनका सही मायने में कोई दोष नहीं हैं) पर स्थानांतरित कर रहे हैं।

हर तरफ प्रभार, शुल्क और दंड लागू किये जा रहे हैं – एटीएम लेनदेन पर, नकद निकासी पर, न्यूनतम शेष राशि न रखने पर – बैंक ऋण–प्राप्तकर्ताओं और अन्य गतिविधियों से घटते मुनाफे को आम जमाकर्ताओं से निचोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, और वैसे जमाकर्ताओं से जो सबसे निचले पायदान पर हैं।

ये शुल्क प्रतिगामी और मनमाने हैं। ये पूरी तरह से भाजपा सरकार, आरबीआई और

बैंक शुल्क : गरीबी पर जुर्माना
कैसे बैंक हमसे हमारी बचत के पैसे लूट रहे हैं?

बैंकों को जिम्मेदारी से बचाते हैं और साथ ही कॉरपोरेट क्षेत्र को क्लीन चिट देने के पक्षधर प्रतीत होते हैं। भारतीय बैंकिंग की खराब हालत पर हो रही चर्चा एवं बहस में इन प्रतिगामी और मनमाने शुल्क और जुर्मानों को नजरंदाज कर दिया गया है, संभवतः इसके भयावह रूप से वर्गीकृत होने और अदृष्ट तरीके से लागू किये जाने के कारण। इस सब के दौरान जमाकर्ताओं को कॉर्पोरेट लूट और उसकी भरपाई के लिए लगातार निचोड़ा जा रहा है।

बड़े जन संगठनों और नागरिक समाज की नजरों से इन शुल्कों और दंडो के बच निकलने का एक बड़ा कारण बैंकिंग क्षेत्र के बारे में कई गलत धारणाओं का होना है। बैंकों को अक्सर जमाकर्ताओं और ऋण–प्राप्तकर्ताओं के बीच वित्तीय मध्यस्थता के रूप में देखा जाता है। यह एक सफेद मिथक है। जमाकर्ता और ऋण–प्राप्तकर्ता, बैंक के लिए दो अलग–अलग प्रकार के ग्राहक हैं और दोनो ही बैंक के साथ विभिन्न सेवाओं के लिए संलग्न हैं। जमाकर्ता अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों की सेवाएं लेते हैं। वहीं ऋण–प्राप्तकर्ता ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के पास जाते हैं। हालांकि व्यवहार में बैंक ऋण देने के लिए जमा राशि में पड़े हुए धन का उपयोग करते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप में बैंक ऋण–प्राप्तकर्ताओं को अपने जोखिम पर अपना पैसा उधार देते हैं। हर बैंक के लिए इन बैंकिंग गतिविधियों के बीच एक स्पष्ट विभाजन है।

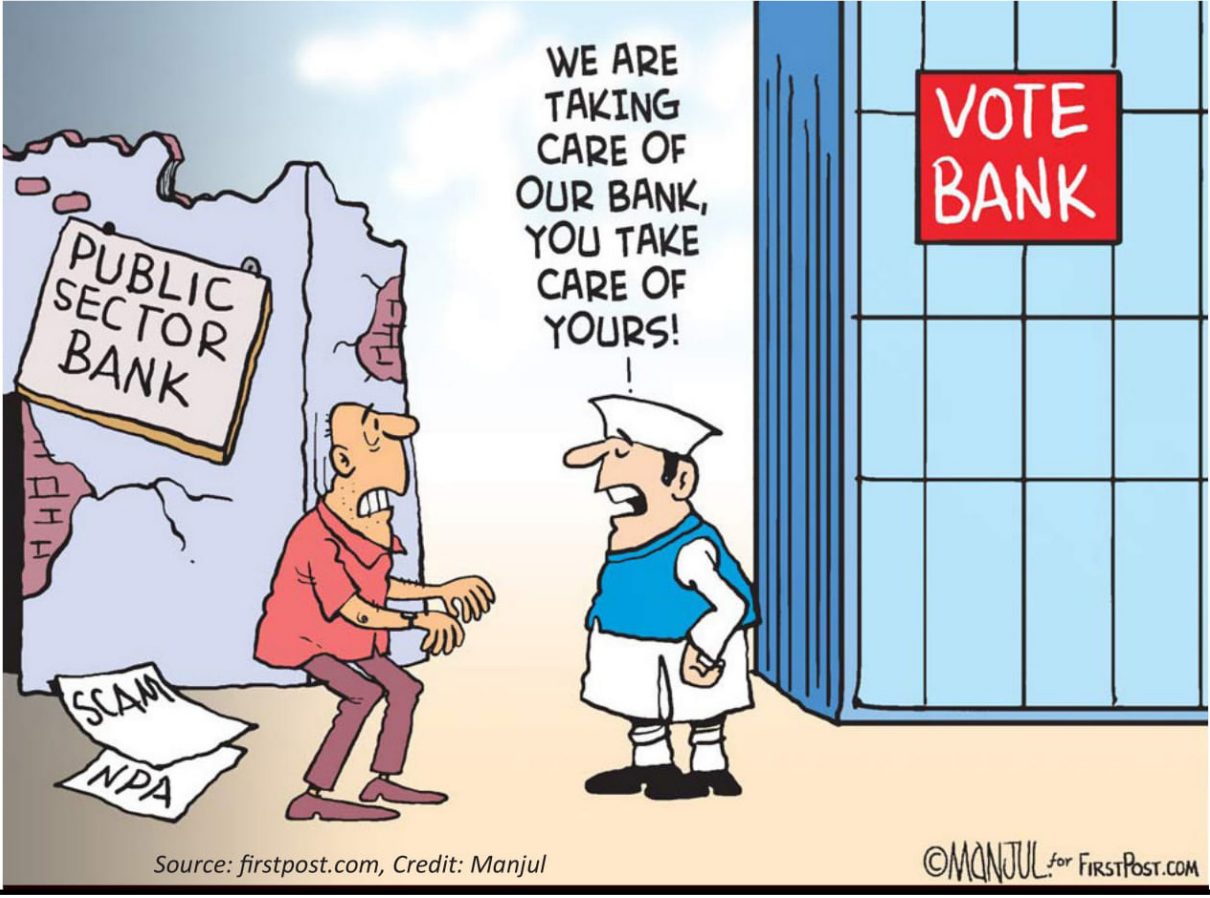

Source: firstpost.com, Credit: Manjul

देर से ही, भाजपा सरकार ने बैंकों की इन गतिविधियों के विभाजन को धुंधला करने के लिए बार–बार प्रयास किए हैं, मतलब बैंक की उधार देने की गतिविधियों के लिए जमाकर्ताओं को जिम्मेदार बनाना। एफआरडीआई के बेल–इन प्रावधान में ऐसा करने की मांग की गयी और यह बात बिल के वापस होने का प्रमुख कारण रहा। एफआरडीआई अभियान के राजनीतिक नतीजों ने भाजपा सरकार को इस तरह के प्रत्यक्ष उपायों को करने से सतर्क कर दिया।

इसके बजाय, बीजेपी सरकार और आरबीआई ने अब बैंकों को चुपचाप जमाकर्ताओं से थोड़ा–थोड़ा निचोड़ कर वैकल्पिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए अधिकृत कर दिया है। बैंक–शुल्कों के इस प्रहार का उद्देश्य जमाकर्ताओं को भुगतान

बैंक शुल्क : गरीबी पर जुर्माना

कैसे बैंक हमसे हमारी बचत के पैसे लूट रहे हैं?

करने वाली राशि को कम करना है, और उसी समय बचत–खातों पर घटते ब्याज दरों के कारण हो सकने वाले हंगामे से बचना भी है।

बैंकों, आरबीआई और भाजपा सरकार के लिए के लिए फायदेमंद हैं परन्तु ये शुल्क जमाकर्ताओं के हितों पर काँटों से प्रहार करने जैसा है। बैंक ऋण देने के नियमों, आरबीआई और सरकार की नीति पर कोई सवाल न खड़ा कर पाने की स्थिति में जमाकर्ताओं को अब बैंकों, आरबीआई और सरकार की विफलताओं का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। न केवल जमाकर्ताओं के हितों को मनमाने ढंग से दरकिनार किया गया है, बल्कि ऐसे तरीके विशेष रूप से सबसे कम आर्थिक स्तर के जमाकर्ताओं पर हमला करते हैं और उन लागतों को बढ़ाते हैं जिसे कामकाजी लोग बैंक में रखे अपने पैसे का उपयोग करने के लिए सहन करते हैं। ये सभी बैंक शुल्क बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य और सामाजिक बैंकिंग मॉडल के विलुप्तिकरण की ओर इशारा करते हैं। यह पूर्णतः बैंको के व्यवसायिकरण एवं निजीकरण की ओर एक कदम है।

बैंकों द्वारा राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए शुल्कों और दंड के माध्यम से जमाकर्ताओं को देय राशि को कम करना

Source: Down the Rabbit Hole, Credit: Balaji Mohar R

Source: Down the Rabbit Hole, Credit: Balaji Mohar R

कुछ नया नहीं है। वास्तव में बैंकिंग क्षेत्र के लिए 1999 में बेंचमार्क सेवा शुल्क को खत्म करना इस दिशा में पहला कदम था। इसके बाद, तर्क यह था कि बैंकों को वसूलने के लिए जैसा उन्हें सही लगता है उसे लगाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, इसमें एकमात्र सीमा यह थी कि ये शुल्क जमाकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने की औसत लागत के अनुरूप होने चाहिए। यह अपने–आप में बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों से एक कदम दूर है। अतीत में लिए ये छोटे–छोटे कदम हाल के दिनों में व्यवसायीकरण और लाभ प्राप्त करने की दिशा में विशाल कदम बन गए हैं।

आज के बुरे ऋण के संकट का सार यूपीए I और II के दौरान उच्च वृद्धि के दशक से उभरता है। उस समय पर्याप्त सुरक्षा या जोखिम मूल्यांकन के बिना ऋण जैसे–तैसे जारी किए गए थे। इनमें से कुछ ऋण कॉरपोरेट डिफॉल्टरों की अकर्मण्यता के कारण डूबने के कगार पर चले गए, जबकि अन्य 2008 के वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण प्रतिकूल स्थिति के शिकार हुए। भाजपा सरकार ने इस स्थिति के लिए अकेले कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने की उम्मीद से घटनाओं के इस क्रम पर बार–बार जोर देने की कोशिश की।

हालाँकि यह कहानी जोर देकर भाजपा सरकार के बैंकिंग संकट में बड़े योगदान की व्याख्या करती है, जिनमें से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सोची गयी एवं व्यक्तिगत

तौर पर प्रचारित की गई वित्तीय समावेशन नीति थी। जन–धन खातों (जिनकी संख्या अब लगभग 32 करोड़ है) को भाजपा सरकार ने खोलने के लिए बैंकों को मजबूर किया। इन खातों को बनाए रखने के लिए बैंकों की परिचालन लागत में काफी वृद्धि हुई है। तथ्य यह है कि इनमें से आधे से अधिक खातों में बहुत कम या कोई राशि जमा नहीं है और ये खाते बड़े स्तर पर सक्रिय नहीं हैं। फलतः इससे बैंक के मुनाफे पर नकारात्मक असर पड़ा है।

आरबीआई ने बैंकों को होने वाले उन संभावित नुकसानों को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था जिनका वे बड़ी संख्या में मौजूद बिना किसी राशि के जन–धन खातों के कारण सामना करेंगे। यह जुलाई 2015 में जारी किए गए दिशानिर्देशों से स्पष्ट होता है, जिनमें बैंकों को खातों में न्यूनतम राशि नहीं होने पर दोनों, उचित और आनुपातिक, आधार पर दंड शुल्क रखने के लिए कहा। ये शुल्क सभी खातों, यहां तक कि जन–धन खातों पर भी लागू होते हैं, जैसा कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर आशीष दास द्वारा किए गए एक अध्ययन से साबित होता है। उन्होंने पाया कि बैंक बिना किसी शुल्क के जन–धन बचत खातों को शुल्क–आधारित नियमित बचत खातों में तब चुपचाप परिवर्तित कर रहे थे, जब एक खाताधारक एक महीने में 5वां निकासी लेनदेन करता है।

आरबीआई ने इसके बाद बैंकिंग क्षेत्र के लिए अपने तनाव को थोड़ा और बढ़ा दिया। अगस्त 2015 में एक एसेट क्वालिटी रिव्यू (एक्यूआर) का संचालन करते हुए, आरबीआई ने बैंकों द्वारा दिए गए विभिन्न ऋणों की जांच की। इसमें पता चला कि बड़ी संख्या में खराब प्रदर्शन करने वाले और छिपे हुए ऋण थे। एक्यूआर के बाद खराब ऋण घोषणा और प्रावधान मानदंडों में बदलाव से खराब ऋणों की मात्रा में विस्फोट हुआ और बैंक डगमगा गए। संभावित नुकसान के लिए प्रावधान मानदंड भी काफी गंभीर थे, कुछ उदाहरणों में ऋण के मूल्य के 100% तक भी।

इन प्रावधानों ने बैंक के मुनाफे में बहुत कटौती की और एक्यूआर के बाद कम उधार दे पाने के साथ मिलकर इसने कई बैंकों को घाटे में धकेल दिया। बाद में आईबीसी की स्थापना कर बैंकों को कुछ खराब ऋणों को वसूलने में मदद करने के लिए एक असफल कोशिश भी हुई, जिसमें एक तिहाई से थोड़ी अधिक की वसूली ही हो पायी। आरबीआई ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, जो ऋण देने और पैसे जमा करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं, के तहत 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रखा।

बैंकों को अगला झटका विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के रूप में लगा। प्रचलन में चल रही 86% से अधिक मुद्रा को बेकार घोषित कर दिया गया और लोगों को अपने इकट्ठे किये बचत को जमा करने और पुरानी मुद्रा के बदले नई मुद्रा का आदान–प्रदान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैंक और बैंक के कर्मचारियों ने नोटों को बदलने, जमा करने, एटीएम में नयी मुद्रा डालने के लिए ओवरटाइम काम किया ताकि आम जनता पर किये आघात को कम किया जा सके। इन प्रयासों के कारण बैंकों के परिचालन

लागत में काफी बढ़ोतरी हुई। कई बैंक अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा किये गए ओवरटाइम काम के लिए भुगतान भी नहीं कर पाए हैं।

एक ही समय में बैंक में नकदी की बाढ़ आ गयी थी जिससे जमा नकदी पर ब्याज भुगतान और अन्य लागत भी बढ़ गए। जमा खातों में नकदी पूर्व–विमुद्रीकरण स्तरों पर जल्द ही लौट सकती है, लेकिन यह भाजपा सरकार या आरबीआई के किसी भी सचेत प्रयास की तुलना में भाजपा के कैशलेस अर्थव्यवस्था के भ्रम की विफलता अधिक है।

इन दो उपायों के अलावा, भाजपा सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करने के लिए बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूर किया है। इनमें आधार पंजीकरण और बैंक खाता से जोड़ने की प्रक्रिया और अन्य, जिसमें अत्यधिक आलोचना वाली फसल बीमा योजना भी शामिल हैं, इन सभी ने बैंकों की परिचालन लागत में वृद्धि की है।

तनाव के ऐसे स्तरों के तहत बैंकों को जमाकर्ताओं पर प्रहार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अन्य नुकसान की भरपाई के लिए खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने के लिए दंडित करना अपर्याप्त पाते हुए, एक साल से कुछ पहले से बैंकों ने शाखाओं (जिस शाखा में खाता हो या

Source: indiatomorrow.net, Credit: Yusuf

बैंक शुल्क : गरीबी पर जुर्माना
कैसे बैंक हमसे हमारी बचत के पैसे लूट रहे हैं?

अन्य) पर नकद लेनदेन के लिए भी ग्राहकों पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया। बिना किसी शुल्क के नकद जमा और निकासी की संख्या, महीने में चार या पांच बार तक सीमित है और विभिन्न बैंकों द्वारा प्रति लेनदेन पर 10 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की राशि ली जा रही है।

इसके अलावा, एटीएम से बिना किसी शुल्क के लेनदेन की संख्या पर भी सीमा लगा दी गई है। जमाकर्ताओं से वैसी बैंकिंग सेवाओं के लिए भी शुल्क लिया जा रहा है जिसके लिए पहले कोई शुल्क नहीं था। इन सेवाओं में पता या मोबाइल नंबर में परिवर्तन, एसएमएस अलर्ट सेवा, केवाईसी से संबंधित दस्तावेजों का अद्यतन आदि शामिल हैं। यहां तक कि बैंकों में एटीएम की संख्या कम हो गई है। इससे बैंकिंग क्षेत्र में जमाकर्ता की उसके धन तक पहुंच को कम करने के उद्देश्य से व्यापक लागत कटौती के प्रयासों का संकेत मिलता है।

सितंबर 2017 में एसबीआई के प्रबंध निदेशक के बयान से इन कार्यों का औचित्य स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि एसबीआई बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि का अनुपालन न करने पर जुर्माने के रूप में 2000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है, जिसका कुछ हिस्सा 40 करोड़ बचत खातों को आधार से जोड़ने के कारण बैंकों को हुई अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

भाजपा सरकार न केवल जमाकर्ताओं पर बैंकिंग संकट का बोझ बढ़ा रही है, बल्कि जमाकर्ताओं को अपनी जन–समर्थक योजनाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए भी मजबूर कर रही है।

भारतीय बैंक बड़े अनुपात के खराब ऋण संकट का सामना कर रहे हैं। मार्च 2018 में बुरा ऋण 10.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि तक हो चुका था और इनमें से लगभग 50% शीर्ष 100 ऋण–प्राप्त कर्ताओं के हैं। वास्तव में सभी खराब ऋणों में 75% खराब ऋण 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के हैं। यह दर्शाता है कि खराब ऋण मुख्य रूप से शीर्ष 1% ऋण–प्राप्त कर्ताओं से संबंधित हैं।

देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों के कारनामों की भरपाई के लिए जमाकर्ताओं को निचोड़ना प्रतिगामी और गैर–जिम्मेदाराना कार्य है। जैसा कि केरल के मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्त किया गया है, "आम आदमी और गरीबों की संपत्ति की यह लूट ऐसे समय में हो रही है जब बैंक लगातार डूबते बड़े कॉर्पोरेट घरानों को लगातार राहत प्रदान कर रहे हैं। अत्यधिक अमीरों द्वारा बैंकों को किए गए नुकसान के लिए गरीब से गरीब लोगों को लूटा जा रहा है"।

आपत्तिजनक सिर्फ यह नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है बल्कि किस पैमाने पर हो रहा है, यह भी है। मार्च 2018 तक 11,500 करोड़ रुपये न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव न कर पाने के कारण दंड के रूप में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 3 निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एकत्र किए गए हैं। उसी समय, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 3.17 लाख करोड़ के खराब ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया। न्यूनतम शेष राशि

नहीं होने से इकठ्ठा किया दंड केवल इस आंकड़े के 4% से कम की भरपाई करेगा। इन उपायों की प्रतिगामिता सिर्फ इनके द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के आसपास के मुद्दों को ठीक करने में उनकी पूरी तरह से अक्षमता के कारण सबसे ऊपर है और यह बिलकुल स्वीकार्य नहीं है।

बैंकों को पुनः पूंजीकृत करने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार को अवश्य खर्च करना होगा। इसके बाद ही साख प्रवाह से न केवल बैंक मुनाफे में सुधार होगा बल्कि समग्र आर्थिक विकास भी होगा। उधार देने की प्रथाओं को कड़ा किया जाना चाहिए और बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही के लिए शक्तियां भी दी जानी चाहिए। अन्यथा बुरे ऋणों को बट्टे खाते में डालना, उसकी नीलामी, और पुनः पूंजीकरण की चक्रीय प्रक्रिया फिर से होगी। बाकी केवल छोटे–मोटे उपाय हैं।

यह समय है कि भाजपा सरकार और आरबीआई स्वीकार करें कि उन्होंने बैंकिंग सुधार को विफल कर दिया है और बैंकिंग क्षेत्र को पतन के कगार पर छोड़ दिया है। ये प्रभार, शुल्क और दंड अन्यायपूर्ण व अपर्याप्त हैं और ये उपाय कभी भी सीधे गंभीर उपायों की जगह नहीं ले सकते हैं, जैसे पर्याप्त पुनः पूंजीकरण, उधार व वसूली प्रथाओं में सुधार। आरबीआई और सरकार को बकायेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके और ऋण नीतियों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाकर बड़े कॉर्पोरेट ऋणों की वसूली करने की आवश्यकता है। काम करने वाले लोगों पर कॉर्पोरेट ऋण के बोझ को डालना बंद करना होगा।

बैंक शुल्कों का विरोध करने की आवश्यकता क्यों है ?

Credit: The Joy of Tech Comic

Copyright: Mark Lynch

बैंक शुल्कों का विरोध करने की आवष्कता क्यों है?

आवश्यक वस्तुओं और मुद्रास्फीति में मूल्य वृद्धि हमेशा लोगों के लिए खासकर मध्यम और श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए, एक प्रमुख चिंता का विषय रही है।

जब भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, विभिन्न राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी समूहों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, जो कि सही भी है। लेकिन जब वित्तीय सेवाओं की बात आती है, तो शायद ही इस तरह की नाराजगी दिखाई देती है। बैंक सेवा प्रदान करते हैं और इनमें से कुछ सेवाओं के लिए प्रभार शुल्क लगाते हैं। इसे सामान्य और स्वीकृत माना जाता है, ताकि बैंक की परिचालन लागतों को जुटाया जा सके।

हाल के दिनों में बैंक उनके द्वारा प्रदान की गई लगभग प्रत्येक सेवा पर प्रभार लगा रहे हैं, जिसमें से पहले कई सेवाएँ बिना किसी प्रभार शुल्क के दी जाती थी। यह सिर्फ बैंकों की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए प्रभारों में नियमित संशोधन नहीं है। यह स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट द्व ारा किए गए नुकसान के बोझ को देश के आम लोगों पर डालने का बैंकों का एक प्रयास है।

बैंकिंग सेवाएं अब हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा बन गयी है। हमने इसे या तो एक स्वैच्छिक विकल्प के रूप में या फिर सरकारी नीतियों द्वारा अनिवार्य बनाए जाने के कारण मजबूरी में अपनाया हैं। इसलिए, आज बैंकिंग को ''मध्यम वर्ग की'' समस्या नहीं कही जा सकती है। इसी कारण निम्नलिखित प्रश्न और उत्तर से इन प्रभारों को समझने की कोशिश की हैं और क्यों यह एक खतरनाक नीति है जिसका विरोध किया जाना आवश्यक है, उसको भी समझते हैं।

1. बैंक शुल्क क्या हैं?

बैंक विभिन्न माध्यमों/प्रक्रियाओं से बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने के लिए जमाकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंक चार्ज एक ऐसा शुल्क है जो बैंक इन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने पर जमाकर्ताओं से वसूलते हैं। हाल ही में बैंकों ने जमाकर्ताओं द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए शुल्क लेना शुरू कर दिया है, जिसमें से कई पहले निःशुल्क थे। अब खाताधारकों को बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को उपयोग में लेने के लिए भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए बैंक शाखाओं से नकद जमा करने या निकालने के लिए खाताधारकों को 10 रुपये से लेकर 200 रुपये या उससे अधिक की राशि का भुगतान करना होगा। एटीएम सेवाएं भी अब बैंकों द्वारा मुफ्त प्रदान नहीं की जा रहीं हैं। एटीएम के माध्यम से दी जाने वाली सभी सेवाओं का शुल्क लिया जा रहा है।

2. वे कौन सी सेवाएँ हैं जिनके लिए बैंक शुल्क लेते हैं?

क) न्यूनतम शेष राशि ना होने पर जुर्माना

यदि बचत खाताधारक अपने बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने में असमर्थ हैं तो उन्हें मासिक या त्रैमासिक जुर्माना देना पड़ रहा है। एसबीआई ने खाताधारकों को अप्रैल 2018 से न्यूनतम शेष राशि नहीं बनाए रखने पर दंडित करना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही अन्य बैंक जो पहले खाताधारकों से शुल्क नहीं ले रहे थे, उन्होंने भी इसके लिए जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। अब बैंक खातों में रखने वाली आवश्यक न्यूनतम शेष राशि बढ़ायी जा रही हैं, जिससे ग्राहकों से अधिक जुर्माना वसूला जा सके। पिछले 2–3 महीनों में बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा एवं कुछ अन्य बैंको ने बचत खातों में बनाए रखने वाली आवश्यक शेष राशि को बढ़ाया है।

ख) बैंक शाखाओं में नकद जमा और निकासी करने पर

अब बैंकों (दोनों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक) ने नकद जमा और निकासी के लिए शुल्क लेना शुरू कर दिया है। बचत खाताधारकों को नकद जमा करने के साथ–साथ बैंक शाखाओं में अपने स्वयं के खातों से नकदी निकालने के लिए भुगतान करना पड़ रहा है (उदाहरण के लिए जैसे प्रति माह बिना किसी शुल्क के 3 नकदी जमा करने और 2 नकद निकासी की अनुमति देता है और इसके बाद हर बार नकदी जमा करने या निकासी पर 50 रुपये के साथ जीएसटी को अलग से जोड़ कर शुल्क लेते है)। जिस तरह बैंक खाताधारकों से उनके खुद के खातों में पैसे जमा करने और निकालने पर यह शुल्क ले रहे हैं। यह बैंकों के गैर–जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता हैं।

ग) एटीएम और डेबिट कार्ड प्रभार

बैंकों ने एटीएम से मुफ्त लेनदेन की संख्या को सीमित कर दिया है और उसके बाद लेनदेन करने पर 20 रुपये और उस पर जीएसटी जोड़ कर शुल्क वसूल रहे हैं। एटीएम से खाते में बची राशि की पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट को भी लेन–देन के रूप में गिना जाता है और निःशुल्क प्रदान नहीं किया जाता है। खाताधारकों को नकद निकासी, बैलेंस पूछताछ और अन्य सेवाओं के लिए डेबिट कार्ड देकर बैंकों ने अपने

कार्यभार को कम करने के लिए एटीएम सेवाओं की शुरुआत की थी। निश्चित रूप से, एटीएम ने बैंकों का काफी बोझ कम कर दिया है लेकिन बैंको ने एटीएम प्रौद्योगिकी (टेक्नोलोजी) का लाभ खाताधारकों को हस्तांतरित नहीं किया है।

बैंक हर संभव तरीके से खाताधारकों से शुल्क ले रहे हैं। पहले, डेबिट एटीएम कार्ड जारी करने का शुल्क लेते है फिर उसी को जारी रखने के लिए वार्षिक शुल्क लेते हैं। इसके बाद भी एटीएम के माध्यम से किए गए लेन–देन से जुड़े शुल्क (प्रत्येक लेनदेन के लिए 5 रुपये से 25 रुपये तक) हैं। डेबिट कार्ड और एटीएम ने बैंकों के संसाधनों पर बढ़ते बोझ को काफी कम कर दिया, लेकिन इसने लोगों के लिए अतिरिक्त लागत जोड़ दिया है। एटीएम के माध्यम से डेबिट कार्ड और लेनदेन का उपयोग खाताधारकों के लिए एक महंगा सन्दर्भ बन गया है।

यहां उन सेवाओं की सूची दी गई है, जिनके लिए बैंक प्रभार शुल्क लिए जा रहें हैं :

- ☐ न्यूनतम शेष राशि ना होने पर दंड प्रभार
- ☐ बैंक खाते में नकद जमा एवं निकासी पर
- ☐ दूसरे खातों में नकद जमा करने पर
- ☐ एटीएम से नकद निकासी पर
- ☐ डेबिट कार्ड जारी करने पर शुल्क
- ☐ डेबिट कार्ड पर लिए जाने वाला वार्षिक शुल्क
- ☐ एटीएम से बैलेंस पूछताछ करने पर
- ☐ एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकालने पर
- ☐ शाखा से एटीएम पिन कोड बदलवाने पर
- ☐ खाता बंद करवाने पर शुल्क
- ☐ अपर्याप्त राशि होने के कारण डेबिट ध एटीएम कार्ड से लेनदेन ना होने पर
- ☐ ग्राहकों को बैंकों से मिलने वाले एसएमएस अलर्ट पर
- ☐ खाताधारक का पता बदलने पर

- ☐ खाते से जुड़े मोबाइल नंबर में बदलाव करने पर
- ☐ केवाईसी संबंधित दस्तावेजों में परिवर्तन करने पर
- ☐ सीडीएम (नकद जमा करने वाली मशीन) में नकद जमा करने पर
- ☐ गंदे कटे–फटें पुरानी मुद्राए नोटों को बदलने पर
- ☐ आनलाइन पैसे भेजने के लिए आइएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस सेवाओं के उपयोग पर
- ☐ रेल टिकट, पेट्रोल ६ ईंधन ६ गैस स्टेशनों के लिए डेबिट कार्ड के उपयोग और कुछ बिलों और सरकारी सेवाओं के भुगतान पर अधिभार के रूप में
- ☐ चेक बुक जारी करवाने पर
- ☐ डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पर
- ☐ खाते में उपलब्ध राशि का प्रमाण पत्र बनवाने पर
- ☐ हस्ताक्षर सत्यापन करवाने पर

3. बैंक शुल्कों से कौन प्रभावित होते हैं?

हर कोई जिनके पास बैंक खाता है। लेकिन बैंक शुल्कों का सबसे अधिक प्रभाव गरीब, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के लोगों पर पड़ता हैं।

4. कैसे बैंक शुल्क गरीबों को निशाना बना रहे हैं और अमीरों को लाभ पहुंचा रहे हैं?

बैंक अमीर लोगों को सेवाएं मुफ्त में प्रदान करते हैं और गरीबों से उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए शुल्क लेते हैं। यह भेदभाव पूर्ण रूप से बैंक खातों में जमा राशि के आधार पर किया जा रहा है। यदि खाते में शेष राशि एक निश्चित राशि (25,000 रुपये या उससे अधिक हो, यह हर बैंकों में अलग हो सकता है) की

तुलना में अधिक है, तो खाताधारकों को सेवाएँ मुफ्त दी जाती है और कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उन्हें कई प्रकार की बैंकिंग सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती है। उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है और उनके लिए शाखाओं, एटीएम लेनदेन और विभिन्न अन्य सेवाओं जैसे नकद लेनदेन की संख्या की कोई सीमा या बंधन नहीं होती है।

लेकिन बहुसंख्यक बैंक ग्राहक, जो मध्यम और निम्न–आय वाले परिवारों से हैं, जिनकी मासिक आय 25,000 रुपये से कम है। उनके लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को देखते हुए उनके द्वारा न्यूनतम शेष राशि के रूप में बड़ी रकम खाते में बनाए रखना असंभव है। न्यूनतम शेष राशि न होने पर लोगों को बैंक गरीब होने के लिए प्रभावी रूप से जुर्माना लगा रहे है।

इसी तरह, बैंक लोगों को बैंक शाखाओं (एक निश्चित संख्या में जमा और निकासी के बाद) का उपयोग करने के लिए प्रभार लगा रहे हैं। यह विशेष रूप से वृद्ध, पेंशन प्राप्त करने वालों और उन लोगों को प्रभावित करेगा जिनके पास तकनीक(टेक्नोलोजी) का ज्ञान या पहुंच नहीं है। यह ग्रामीण और अर्ध शहरी लोगों को भी प्रभावित करेगा, जहां इंटरनेट कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचा का अभाव है।

5. क्या समावेशी बैंकिंग गरीबों पर शुल्क लगाने के लिए फैलाया गया एक जाल है?

वित्तीय समावेशन अभियान को एक हिस्से के रूप में और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे एलपीजी सब्सिडी और मनरेगा का लाभ लेने और प्राप्त करने के लिए, लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए मजबूर किया गया। यह अब दो–धारी तलवार बन गयी है क्यूंकि इनमें से कई खाते बिना किसी न्यूनतम राशि के या निष्क्रिय रहते हैं, यह बैंकों पर दवाब डाल रहें हैं और ऐसे खातों को बनाए रखने में उनकी लागत बढती जा रही है। दूसरी ओर, इन खातों पर अधिकतम चार बार लेनदेन करने और अन्य सीमाएं हैं। यह उन गरीबों के लिए बाधक है जो सब्सिडी के उद्देश्य से बैंकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि अतिरिक्त लेन–देन इन खातों को सभी शुल्कों और प्रभारों के साथ नियमित बचत खाते में बदल देता हैं। कुछ बैंक ऐसे खातों से पाँचवा लेनदेन करने की अनुमति भी नहीं देते हैं। यह समावेशी बैंकिंग के विचारों और धारणाओं के खिलाफ है।

बैंक शुल्कों का विरोध करने की आवष्कता क्यों है?

6. बैंक उपभोगताओं पर अनुचित प्रभार और शुल्क दंड के उदाहरण व एटीएम द्वारा लेनदेन पर सीमाएं।

– जिस बैंक में खाता हैं उस बैंक के एटीएम से सिर्फ 5 लेनदेन और अन्य बैंकों के एटीएम से सिर्फ 3 लेनदेन निःशुल्क हैं। एटीएम से लेनदेन पर शुल्क अनुचित है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। एक सुविधाजनक स्थान पर ग्राहकों को नकदी प्राप्त करने और शाखा में आने वाली भीड़ का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए बैंकों द्वारा एटीएम शुरू किए गए थे। और अब ग्राहकों से इसका उपयोग करने पर शुल्क लिया जाता है।

– अन्य बैंकों के एटीएम से अधिकतम निकासी की सीमा 10,000 रुपये है, और यदि ग्राहक को अधिक राशि निकालने की आवश्यकता होती है, तो उसे मजबूरन दुबारा एटीएम का उपयोग करते हुए अन्य बैंकों के एटीएम से उपलब्ध सभी मुफ्त लेनदेन की सीमा का उपयोग करने पर मजबूर होना पड़ता है।

– बैंक एटीएम और पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) स्वाइप मशीनों पर अपर्याप्त राशि होने के कारण विफल हुए प्रत्येक लेनदेन के लिए 20 से 30 रुपये का शुल्क लेते हैं।

7. विभिन्न बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क की सीमाएँ:

नीचे दिए गए सभी प्रभार, शुल्क और दंड 18% जीएसटी के अनन्य हैं।

क) न्यूनतम शेष राशि नहीं बनाये रखने पर दंड शुल्क

बैंक दंड शुल्क	न्यूनतम शेष राशि नहीं बनाए रखने पर दंड	माषिक (M) / त्रैमाषिक (Q)
SBI	15	M
PNB	250	Q
BOB	200	Q
Canara Bank	40	M
HDFC	600	M
Axix	500	M
ICICI	600	M
BOI	200	Q
CBI	240	Q
BOM	120	Q
Kotak Mahindra	500	M

ख। एटीएम से लेनदेन पर शुल्क

लेनदेन का प्रकार	अपने बैंक खाता के बैंकों के एटीएम में (रु.)		अपने बैंक खाता के बैंकों के अलावा दूसरे बैंकों के एटीएम में (रु.)	
	वित्तीय लेनदेन	गैर–वित्तीय लेनदेन	वित्तीय लेनदेन	गैर–वित्तीय लेनदेन
SBI	10	5	20	8
PNB	10	10	20	20
BOB	मुफ्त	मुफ्त	20	10
Canara Bank	मुफ्त	मुफ्त	20	10
HDFC	20	8.5	20	8.5
Kotak Mahindra	मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त
ICICI	20	8.5	20	8.5
BOI	10	8	20	8
CBI	मुफ्त	मुफ्त	20	5
BOM	मुफ्त	मुफ्त	20	10

ग। डेबिट कार्ड जारी करने का शुल्क

बैंक	शुल्क (रु.)
SBI	125
PNB	कोई शुल्क नहीं
BOB	कोई शुल्क नहीं
Canara Bank	250
HDFC	150
Kotak Mahindra	जानकारी उपलब्ध नहीं
ICICI	जानकारी उपलब्ध नहीं
BOI	150
CBI	कोई शुल्क नहीं
BOM	कोई शुल्क नहीं

घ। डेबिट कार्ड पर लिए जाने वाला वार्षिक

बैंक	शुल्क (रु.)
SBI	125
PNB	100
BOB	150
Canara Bank	120
HDFC	150
Kotak Mahindra	कोई शुल्क नहीं
ICICI	150
BOI	150
CBI	100
BOM	100

(यहाँ दिए गए शुल्क जारी किये जाने वाले आम ६ पुराने डेबिट कार्ड के लिए हैं)

च। एसएमएस अलर्ट के लिए शुल्क

बैंक	शुल्क (रु.)	त्रैमाषिक
SBI	15	Q
PNB	15	Q
BOB	15	Q
Canara Bank	15	Q
HDFC	15	Q
Kotak Mahindra	30/15	Q (daily/weekly)
ICICI	15	Q
BOI	15	Q
CBI	0.10 पैसा प्रति एसएमएस	
BOM	15	Q

छ। बैंक शाखा से एटीएम पिन बनवाने पर शुल्क

बैंक	शुल्क (रु.)
SBI	50
PNB	50
BOB	150
Canara Bank	जानकारी उपलब्ध नहीं
HDFC	50
Kotak Mahindra	कोई शुल्क नहीं
ICICI	25
BOI	100
CBI	100
BOM	100

ज। एटीएम कार्ड बदलने का शुल्क

बैंक	शुल्क (रु.)
SBI	300
PNB	200
BOB	200
Canara Bank	200
HDFC	200
Kotak Mahindra	200
ICICI	200
BOI	150
CBI	200
BOM	100

झ। अपर्याप्त राशि होने पर विफल हुए डेबिट कार्ड लेनदेन पर

बैंक	शुल्क (रु.)
SBI	20
PNB	जानकारी उपलब्ध नहीं
BOB	जानकारी उपलब्ध नहीं
Canara Bank	20
HDFC	25
Kotak Mahindra	25
ICICI	25
BOI	20
CBI	जानकारी उपलब्ध नहीं
BOM	जानकारी उपलब्ध नहीं

'बैंकों की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध नहीं है

फाइनेंसियल अकाउंटेबिलीटी नेटवर्क इंडिया राश्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही और पारदर्शिता के मुद्दों को उठाने के लिए नागरिक समाज संगठनों, यूनियनों, सामाजिक आंदोलनों और व्यक्तियों का एक समूह है। यह समूह आर्थिक और वित्तीय नीतियों को भी आलोचनात्मक रूप से देखता है जिनका लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आप बैंक शुल्कों के खिलाफ क्या कर सकते हैं?

- www.fanindia.net वैबसाइट से प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर को सारे बैंक शुल्क हटाने की मांग करते हुए ईमेल कीजिये।

- हमारे साथ साझा कीजिये कि बैंक शुल्कों से आप कैसे प्रभावित हुए हैं और हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे।

- आप बैंक शुल्कों से कैसे प्रभावित हैं, हमको अपने फोटो, नाम, जगह एवं व्यवसाय के साथ व्हाट्सऐप (+91 73032 10990) और ईमेल (nobankcharge@gmail.com) कीजिये। हम उनको अपनी वैबसाइट पर एवं फोटो प्रदर्शनी में इस्तेमाल करेंगे।

NO BANK CHARGES

फाइनेंसियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया(फेन इंडिया)
www.fanindia.net
मोबाइल नंबर : +91 73032 10990
ईमेल आईडी : nobankcharge@gmail.com
fb.com/nobankcharges
twitter.com/nobankcharges